बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना सं0–भवन / 10 / आरोप–(आरा)–28 / 2015.....10253(अ)/ पटना, दिनांक– 19.10.16

:: अधिसूचना ::

श्री रंजन प्रसाद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, आरा के विरूद्ध बगैर निविदा के सरकारी भवन की मरम्मति एवं अनुरक्षण कार्य किये जाने के संबंध में प्राप्त परिवाद पर अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा से जाँच करायी गयी ।

अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा के पत्रांक–308 दिनांक–24.03.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि श्री कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा पुलिस अधीक्षक, बक्सर के आवास की मरम्मति का कार्य बगैर निविदा के ही कराया गया । इस संबंध में विभागीय पत्रांक–5861 दिनांक–04.06.2014 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री कुमार के पत्रांक–52 दिनांक–19.08.2014 से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरान्त पाया गया कि उनके द्वारा बिहार लोक निर्माण संहिता सहित बिहार वित्त नियमावली के नियमों का उल्लंघन कर उक्त कार्य सम्पन्न किया गया ।

अतः श्री रंजन प्रसाद कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध आरोप को प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–5185 (भ0) दिनांक–21.05.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–17 के अधीन विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

अपर विभागीय जाँच आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–314 दिनांक–27.07.2015 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोप यथा बिना निविदा प्रक्रिया पूरी किये कार्य किये जाने का आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–4217 दिनांक–10.05.2016 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी । आरोपित से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित उक्त अरोपों के लिए आरोपित श्री रंजन प्रसाद कुमार तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, आरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–14 के तहत सरकार के निर्णयानुसार निम्न लघु दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

[i] दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचात्मक प्रभाव से रोक ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18.10.16

(उमेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– अधिसूचना सं0–भवन / 10 / आरोप–(आरा)–28 / 2015.....10254(अ)/ पटना, दिनांक– 19.10.16

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

18.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– अधिसूचना सं0–भवन / 10 / आरोप–(आरा)–28 / 2015.....10254(अ)/ पटना, दिनांक– 19.10.16

प्रतिलिपिः– महालेखाकार बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– अधिसूचना सं0–भवन/10/आरोप–(आरा)–28/2015 10254 (अ)/ पटना, दिनांक– 19.10.16

प्रतिलिपिः– उप मुख्य (भवन निर्माण विभाग) मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग,पटना / संयुक्त संचिव/ सभी उप सचिव/ श्री रंजन प्रसाद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, बक्सर सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, भवन अंचल, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

18.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः– अधिसूचना सं0–भवन/10/आरोप–(आरा)–28/2015 10254 (अ)/ पटना, दिनांक– 19.10.16

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

18.10.16

सरकार के संयुक्त सचिव।

18.10.16